

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नयी दिल्ली, दिनांक: 14 सितंबर, 2018

सं. 79/2018 - सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. _____ (अ). - सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा कारण जनहित में आवश्यक है, भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत माल के मूलतः उत्पादन का सीमाशुल्क टैरिफ निर्धारण नियमावली, 2005 में आगे संशोधन करने के लिए, एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों को भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत माल के मूलतः उत्पादन का सीमाशुल्क टैरिफ निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. (1) भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत माल के मूलतः उत्पादन का सीमाशुल्क टैरिफ निर्धारण नियमावली, 2005, (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है),-

(2) उक्त नियमावली में, नियम 5 में, पैराग्राफ 1 में,-

- (i) उप-पैराग्राफ (क) के वाक्य (i) में अंक "60%", के स्थान पर शब्द "पैंसठ प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-पैराग्राफ (क) के वाक्य (ii) में शब्द "चार अंकीय", के स्थान पर शब्द "छः अंकीय" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(3) उक्त नियमावली में, नियम 5 के पश्चात निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“ 5क. नगण्य

1. ऐसा किसी माल जिसका उत्पादन की अपनी अंतिम प्रक्रिया में नियम 5 और अनुबंध ख के अनुपालन में टैरिफ वर्गीकरण नहीं बदलता है, के बारे में यह माना जायेगा कि वह मूलतः उत्पादित है यदि:

(क) उन वस्तुओं से भिन्न जो कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत अध्याय 50 से 63 के अन्तर्गत आती हैं, सभी वस्तुओं के मामलों में:

(i) इसके उत्पादन में प्रयुक्त सभी गैर मूलतः उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, जिनका टैरिफ वर्गीकरण में अपेक्षित परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे वस्तु के एफओबी मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है;

(ii) वह वस्तु किसी मूलतः उत्पादित वस्तु की अर्हता के लिए इस नियमावली में निर्धारित तथा लागू होने वाले अन्य मानदण्डों को पूरा करती हो।

(ख) वह वस्तु जो कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत अध्याय 50 से 63 के अन्तर्गत आती हैं:

(i) इसके उत्पादन में प्रयुक्त गैर मूलतः उत्पादित आधारभूत टैक्सटाइल सामग्री का कुल भार, जिसका टैरिफ वर्गीकरण में अपेक्षित परिवर्तन नहीं होता है, प्रयुक्त कुल आधारभूत टैक्सटाइल सामग्री के कुल भार के सात प्रतिशत से अधिक नहीं होता है; और

(ii) वह वस्तु किसी मूलतः उत्पादित वस्तु के लिए इस नियमावली में निर्धारित तथा लागू होने वाले अन्य मानदण्डों को पूरा करती है।

2. गैर मूलतः उत्पादित पदार्थ पर लागू उपयुक्त स्थानीय मूल्य संवर्धन आवश्यकताओं में ऐसे गैर मूलतः उत्पादित पदार्थों का मूल्य भी शामिल होगा।”;

(4) उक्त नियमावली में, नियम 16, में,-

(i) शब्द “निर्यातकर्ता पक्ष की सरकार” के बाद कोष्ठक और शब्द “(यहाँ “जारीकर्ता प्राधिकारी” से संदर्भित)” को अन्तः स्थापित किया जाएगा।

- (ii) कोष्ठक और शब्द “(इसमे “प्रमाणन अधिकारी” के रूप में उल्लिखित)” हटा दिए जाएंगे।
- (5) उक्त नियमावली में, नियम 17 में,-
- (i) पैराग्राफ 2 में, शब्द “सीमा शुल्क प्रशासन” के स्थान पर शब्द “सीमा शुल्क प्राधिकारी” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) पैराग्राफ 2 में, शब्द “प्रमाणन प्राधिकारी” के स्थान पर शब्द “जारीकर्ता प्राधिकारी” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) पैराग्राफ 3 में, शब्द “प्रमाणीकरणकर्ता प्राधिकारी” के स्थान पर शब्द “जारीकर्ता प्राधिकारी” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (6) उक्त नियमावली में, अनुबंध क में,-
- (i) नियम 1 में, कोष्ठक, शब्द और अंक “(संलग्नक 1)” के स्थान पर कोष्ठक और शब्द “(संलग्नक)” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) नियम 7 में, -
- (क) पैराग्राफ (ख) में, शब्द और अंक “अनुबंध 1” के स्थान पर शब्द “संलग्नक” प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) पैराग्राफ (घ) के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अन्तः स्थापित किए जाएंगे यथा:-
- “(च) सभी मामलों में वाणिज्यिक इन्वॉइस की संख्या और उसकी तारीख को मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र में निर्धारित बॉक्स में उल्लिखित करना होगा।
- (छ) मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र पर इसके जारीकर्ता प्राधिकारी का हस्ताक्षर और उसकी सरकारी मुहर अवश्य होनी चाहिए। इस हस्ताक्षर और सरकारी मुहर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी लगाया जा सकता है।”;
- (iii) नियम 13 में, पैराग्राफ (क) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
- “(क) आयातकर्ता पक्षकार के नियमों और विनियमों के अनुसार आयात के माल के कस्टम के क्लियरेंस के समय आयातकर्ता पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास मूलतः उत्पादन का प्रमाणपत्र और साथ में अपेक्षित कागजात इसकी वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(कक) यदि मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किए बिना वरीयतापरक वर्ताव का दावा किया जाता है तो आयातकर्ता पक्षकार का सीमा शुल्क प्राधिकारी इस वरीयतापरक वर्ताव को इन्कार कर सकता है और वह किसी प्रकार के गारन्टी के लिए अनुरोध कर सकता है या ऐसी कोई आवश्यक कार्यवाही कर सकता है जो कि ऐसे आयात को पूरा करने की पूर्व शर्त के रूप में राजकोषीय हित को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो वशर्ते कि ऐसा आयातकर्ता पक्षकार के कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा। आयातकर्ता पक्षकार के कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार यदि आयातकर्ता बाद में मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देता है तो आयातकर्ता को उसकी गारन्टी वापस कर दी जाएगी।”;

(iv) नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

“(vक), पूर्वव्यापी जाँच

नियम 15

(क) शंका होने की स्थिति में या यादृच्छिक रूप से भी आयातकर्ता पक्षकार का सीमा शुल्क प्राधिकारी इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणपत्र की सच्चाई और उसमें दी गयी जानकारी के सत्यापन के लिए पूर्वव्यापी जाँच करा सकता है।

(ख) यदि आयातकर्ता का सीमा शुल्क प्राधिकारी यह समझता है कि निर्यातकर्ता पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारी से पूर्वव्यापी जाँच कराना जरूरी है तो वह यह स्पष्ट करेगा कि क्या यह ऐसा सत्यापन यादृच्छित आधार पर किया जा रहा है या इसमें दी गयी जानकारी की सत्यता संदेहास्पद है। यदि मूलतः उत्पादन का निर्धारण संदेहास्पद है तो सीमा शुल्क प्राधिकारी उस विस्तृत आधार के बारे में बताएगा जिस पर मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र की सच्चाई के बारे में संदेह है।

(ग) आयातकर्ता का सीमा शुल्क प्राधिकारी जब तक सत्यापन का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक वरीयतापरक के प्रावधानों को स्थगित रख सकता है। हालांकि वह आयातकर्ता को उत्पाद जारी कर सकता है किसी प्राशासनिक उपायों के अधीन रहते हुए जिसको कि वह उचित समझे, वशर्ते कि वे किसी आयात निषेध या प्रतिबंध के अधीन न हों और इसके बारे में धोखाधड़ी का कोई संदेह न हो।”;

नियम 15क

नियम 15 के अनुपालन में कोई अनुरोध निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा, यथा:

- (क) आयातकर्ता का सीमा शुल्क प्राधिकारी मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रस्तुत करके पूर्वव्यापी जाँच के लिए अनुरोध करेगा।
- (ख) सीमा शुल्क प्राधिकारी इस बात को स्पष्ट करेगा कि मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र की वास्तविकता का सत्यापन का उद्देश्य किसी धोखाधड़ी का निराकरण है या मूलतः उत्पादन की सत्यता का पता लगाना है।
- (ग) ऐसी स्थिति में जहाँ कि आयातकर्ता पक्षकार का सीमा शुल्क प्राधिकारी मूलतः उत्पादन के निर्धारण की सच्चाई का पता लगाना चाहता है तो वह निर्यातकर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को एक प्रश्नावली भेजेगा, जिसे निर्यातकर्ता/उत्पादक/ उत्पादक के पास ऐसे जाँच या दस्तावेज के लिए भेज दिया जाएगा जैसा आवश्यक हो।
- (घ) निर्यातकर्ता पक्षकार का जारीकर्ता प्राधिकारी अनुरोधकृत जानकारी और कागजातों को:
 - (i) अनुरोध के प्राप्ती की तारीख से 15 दिन के भीतर भेजेगा यदि ऐसा अनुरोध मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की सत्यता हो, जिसमें जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर और उसके हस्तक्षर की भी बात आती है;
 - (ii) अनुरोध के प्राप्त करने की तारीख से 90 दिन के भीतर भेजेगा यदि ऐसा अनुरोध उत्पाद के मूलतः उत्पादन के निर्धारण की सच्चाई के बारे में संदेह के आधार के बारे में हो। ऐसी अवधि को आयातकर्ता पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी और निर्यातकर्ता पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारी के बीच परस्पर परामर्श से अधिकतम 60 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
- (ङ) उपवाक्य (घ) के अनुपालन में पूर्वव्यापी जाँच के परिणाम को प्राप्त हो जाने पर यदि आयातकर्ता पक्षकार और अधिक जानकारी के लिए अनुरोध करना जरूरी समझता है तो आयातकर्ता पक्षकार का सीमा शुल्क प्राधिकारी निर्यातकर्ता पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारी को ऐसे तथ्य के बारे में 30 दिन

के भीतर संसूचित कर सकता है। अतिरिक्त जानकारी को दिए जाने की समय सीमा ऐसी अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध के प्राप्त की तारीख से अधिकतम 90 दिन तक होगी।” ।

- (7) उक्त नियमावली में, अनुबंध ख के स्थान पर निम्नलिखित अनुबंध को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुबंध ख

उत्पाद विशिष्ट नियमावली

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		अध्याय 1	जीवित पशु	पूरी तरह से प्राप्त किया
2		अध्याय 2	मांस और खाद्य मांस ऑफल	अध्याय 1 और 2 के सभी सामग्रियों को पूरी तरह से प्राप्त किया जाएगा
3		अध्याय 3	मछली और क्रस्टेसियन, मोलुस्क और अन्य जलीय अपरिवर्तक	पूरी तरह से प्राप्त किया
4		अध्याय 4	डेयरी उत्पादन; पक्षी के अंडे; प्राकृतिक शहद; पशु मूल के खाद्य उत्पादों, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं	पूरी तरह से प्राप्त किया
5		अध्याय 5	पशु मूल के उत्पाद, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं	पूरी तरह से प्राप्त किया
6		अध्याय 11	पिसाई उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इन्जुलिन; गेहूं का	अध्याय 7, 8 और 10 के सभी

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			बना लासा	सामग्रियों को पूरी तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए
7		अध्याय 12	तेल के बीज और ओलेजिनस फल; विविध अनाज, बीज और फल; औद्योगिक या औषधीय पौधों; भूसे और चारा	पूरी तरह से प्राप्त किया
8		अध्याय 13	लैक; गोंद, रेजिन और अन्य सब्जी के नम और निष्कर्ष	पूरी तरह से प्राप्त किया
		अध्याय 15	पशु या सब्जी वसा और तेल और उनके क्लेवाज उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या सब्जी वैक्स	
		1507	सोया-बीन तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं	
9		150,790	- अन्य	सी टी एच या वी ए > = 40% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = <60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
10		1508	मूंगफली के तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं	सी टी एस एच या वी ए > = 35% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या =< 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 1		1509	जैतून का तेल और इसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं	सी टी एस एच या वी ए > = 35% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या =< 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
12		151,000	अन्य तेल और उनके अंश जो की पूरी तरह से जैतून से प्राप्त होते हैं, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं हैं, इन तेलों का मिश्रण या अंश या फिर शीर्ष 1509 के तेल और उनके अंश के साथ मिश्रण शामिल हैं	सी टी एस एच या वी ए > = 35% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या =< 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		अध्याय 16	मांस, मछली या क्रस्टेसियन, मोलुस्क या अन्य जलीय अपरिवर्तक की तैयारी	
		1604	तैयार या संरक्षित मछली; मछली अंडे से तैयार कैवियार और कैवियार विकल्प	
13		160420	- अन्य तैयार या संरक्षित मछली	वी ए > = 35% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = < 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		अध्याय 18	कोको और कोको सामग्री	
14		1804	कोको मक्खन, वसा और तेल	वी ए > = 40% प्रत्यक्ष विधि के

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				आधार पर या = < 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
15		1805	कोको पाउडर, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ शामिल नहीं हैं	वी ए > = 40% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = < 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		अध्याय 1 9	अनाज, आटा, स्टार्च या दूध की तैयारी; पेस्ट्रीकूक 'उत्पादों	
		1901	विवरण: माल्ट निकालना; आटा, दलिया, भोजन, स्टार्च या माल्ट निकालने की खाद्य तैयारी, कोको मुक्त या कोको के वजन से 40% से कम युक्त एक पूरी तरह से डिफैटेड आधार पर गणना की, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं; शीर्ष 0401 से 0404 के खाद्य सामान की तैयारी, कोको युक्त नहीं है या कोको के वजन से 5% से कम युक्त एक पूरी तरह से डिफैटेड आधार पर गणना की जाती है, अन्यथा निर्दिष्ट या शामिल नहीं	
16		190190	- अन्य	सी टी एस एच या वी ए > = 35% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = < 65% अप्रत्यक्ष विधि के

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				आधार पर
		अध्याय 21	विविध खाद्य तैयारी	
		2103	सॉस और इसके लिए तैयारी; मिश्रित मसालों और मिश्रित सिज़निंग; सरसों का आटा और भोजन और तैयार सरसों	
17		210310	- सोया का सॉस	सी टी एच
		2106	भोजन की तैयारी कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है	
18		210610	केंद्रित प्रोटीन और बनावट प्रोटीन पदार्थ	वी ए > = 35% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = < 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		अध्याय 23	खाद्य उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट; तैयार पशु चारा	
		2309	पशु भोजन में इस्तेमाल की जाने वाली एक तरह की तैयारी	
19		230910	- खुदरा बिक्री के लिए कुत्ते या बिल्ली का खाना	वी ए > = 35% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = < 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		अध्याय 29	जैविक रसायन	
		2905	अचक्रीय अल्कोहॉल और उनके हलोजनेटेड, सल्फोनेटेड , नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स	
			- संतृप्त मोनोहाइड्रिक अल्कोहॉल	
20		290512	- प्रोपेन - 1 - ओएल (प्रोपिल अल्कोहल) और प्रोपेन - 2 - ओएल (आइसोप्रोपॉल अल्कोहल)	सी टी एच
21		290513	- बुटन - 1 - ओएल (एन - ब्यूटिल अल्कोहल)	सी टी एच
22		290516	- ऑक्टेनोल (ऑक्टेन अल्कोहल) और इसके आइसोमर:	सी टी एस एच या वी ए > = 35% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = < 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
23		290516	- - अन्य	वी ए > = 40% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = < 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24		290723	-- 4,4 ' - आइसोप्रोपीलिडेनिफेनॉल (बिस्फेनॉल ए, डिफेनिलोलप्रोपाने) और इसके लवण	सी टी एस एच
		2912	एल्डीहाइड्स, चाहे अन्य ऑक्सीजन फ़ंक्शन के साथ या नहीं; एल्डीहाइड्स के चक्रीय बहुलक; पैराफार्मएल्डीहाइड	
			- चक्रीय एल्डीहाइड्स अन्य ऑक्सीजन फ़ंक्शन के बिना:	
25		291219	-- अन्य:	सी टी एच
		2916	असंतृप्त चक्रीय मोनोकार्बोक्सालिक अम्ल, चक्रीय मोनोकार्बोक्साइकिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइड, हेलाइडस, परआक्साइड और परोक्सीअम्ल ; उनके हलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिव्स	
			- असंतृप्त चक्रीय मोनोकार्बोक्सालिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइड, हेलाइडस, परआक्साइड, परोक्सीअम्ल और उनके डेरिवेटिव्स:	
		291612	- एक्रिलिक अम्ल के एस्टर:	
26			पूर्व --- ब्यूटिल एक्रिलेट	सी टी एस एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2917	पॉली कार्बोक्साइलिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइड, हेलाइडस, परआक्साइड और परोक्सीअम्ल ; उनके हलोजनेटेड, सल्फोनेटेड, नाइट्रेटेड या नाइट्रोसेटेड डेरिवेटिक्स	
			- चक्रीय पॉलीकार्बोक्साइलिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइड, हेलाइडस, परआक्साइड, परोक्सीअम्ल और उनके डेरिवेटिक्स:	
27		291712	- एडिपिक एसिड, इसके लवण और एस्टर	सी टी एच
28		291739	ई एक्स --- डाइ ऑक्टाइल फथालेट	आर वी सी \geq 40% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		अध्याय 38	विविध रासायनिक उत्पादों	
		3824	फाउंड्री मोल्ड या कोर के लिए तैयार बाइंडर; रासायनिक उत्पादों या रासायनिक या संबद्ध उद्योगों (जिसमें प्राकृतिक उत्पादों के मिश्रण शामिल हैं) की तैयारी, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं है	
		382490	- अन्य	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29			पूर्व - इलेक्ट्रोप्लेटिंग लवण; जल उपचार रसायन; आयन एक्सचेंजर; संशोधन करनेवाला तरल पदार्थ; उपजी सिलिका और सिलिका जेल; तेल के कुँवा के रसायन - / केग्रामोफोन रिकॉर्ड निर्माण की सामग्री	सी टी एच
		अध्याय 39	प्लास्टिक और इसके सामान	
		3910	प्राथमिक रूपों में सिलिकॉन	
30		391000	- प्राथमिक रूपों में सिलिकॉन:	वी ए> = 35% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = < 35% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		अध्याय 44	लकड़ी और लकड़ी के सामान; लकड़ी लकड़ी का कोयला	
31		4401	ईंधन की लकड़ी, लॉग में, बिलेट्स में, टहनियों में, फगोट्स या समान रूपों में; चिप्स या कणों में लकड़ी; लकड़ी का बुरादा और लकड़ी के अपशिष्ट और स्क्रेप, चाहे लॉग, ब्रिकेट, छर्नी या इसी तरह के रूपों में संग्रहित हों या नहीं	सी टी एच
32		4402	लकड़ी का कोयला (खोल या अखरोट लकड़ी का कोयला सहित), चाहे संक्रमित हो या नहीं	सी टी एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33		4403	अपरिष्कृत लकड़ी, छाल या सैपवुड अलग कर लिया या नहीं, या मोटे तौर पर वर्ग कर लिया	सी टी एच
34		4404	हूपवुड ; विभाजित पोल्स; ढेर, नोकदार छड़ और लकड़ी के हिस्से, नोकदार लेकिन लंबाई में चीरी हुई नहीं; लकड़ी की छड़ें, मोटे तौर पर कटा-छंटा लेकिन घुमा हुआ, झुका हुआ या अन्यथा काम ना हुआ हो, चलने वाली छड़ें, छतरियों, उपकरण के हैंडल या इसी तरह के निर्माण के लिए उपयुक्त होती हैं; चिपवुड और समान।	सी टी एच
35		4407	6 मिमी से अधिक की मोटाई के लकड़ी, लंबाई में चीरी हुई या काटी हुयी, कटा हुआ या छीला हुआ, चाहे प्लेंड, सेन्डेड या अंत-संबद्ध किया हुआ।	सी टी एच
36		4408	विनिरिंग के लिए चादर (पर्ती लकड़ी के टुकड़े करके प्राप्त किए गए समेत) प्लाईवुड के लिए या इसी तरह के पर्ती लकड़ी और अन्य लकड़ी के लिए, लंबाई में चीरी हुई, काटी हुयी या छीला हुआ, चाहे प्लेंड, सेन्डेड या अंत-संबद्ध किया हुआ जिसकी मोटाई 6 मिमी से अधिक न हो,	सी टी एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37		4410	कण बोर्ड, उन्मुख स्ट्रैंड बोर्ड (ओ एस बी) और इसी तरह लकड़ी के बोर्ड (उदाहरण के लिए, वेफरबोर्ड) या अन्य लकड़ी की सामग्री, जिसे रेजिन या अन्य कार्बनिक बाध्यकारी पदार्थों के साथ समुच्चयित हो या नहीं	सी टी एच
38		4411	लकड़ी या अन्य घातक सामग्री के फाइबर बोर्ड, चाहे रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थों से बंधे हों या नहीं	सी टी एच
39		4412	प्लाईवुड, मंडित पैनलों और इसी तरह के पर्तों की लकड़ी	सी टी एच
40		4420	लकड़ी में मीनाकारी और अंदरूनी लकड़ी; आभूषण के लिए कास्केट और पेंटी या कटलरी, और लकड़ी के समान सामान; लकड़ी के प्रतिमा और अन्य गहने; फर्नीचर की लकड़ी के सामान अध्याय 94 में नहीं आ रहे हैं	सी टी एच
		अध्याय 48	पेपर और पेपरबोर्ड, पेपर लुगदी की सामग्री, पेपर के या पेपरबोर्ड के	
		4818	टॉयलेट पेपर और इसी तरह के पेपर, सेल्यूलोज वैडिंग या सेल्यूलोज फाइबर के जाल, घरेलू या सैनिटरी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी प्रकार का, 36 सेमी से अधिक चौड़ाई के रोल में, या आकार या आकार में कटौती, रूमाल, सफाई ऊतक, तौलिए, टेबल कपड़े, सरविट्टेस, बच्चों के लिए नैपकिन, टैम्पन,	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			बिस्तर चादरें और इसी तरह के घर, सैनिटरी या अस्पताल के सामान, परिधान और कपड़ों के सामान के सामान, कागज लुगदी, कागज, सेलूलोज़ अस्तर या सेलूलोज़ फाइबर के जाल	
41		481840	- सैनिटरी तौलिए और टैम्पोन, बच्चों के नैपकिन और नैपकिन लाइनर और समान सैनिटरी सामान	सी टी एच
		अध्याय 49	मुद्रित किताबों, समाचार पत्रों, चित्रों और मुद्रण उद्योग के अन्य उत्पादों; पांडुलिपियों, टाइपस्क्रिप्ट्स और योजनाएं	
		4901	मुद्रित किताबें, ब्रोशर, पर्चे और इसी तरह के मुद्रित मामले, एकल चादर में चाहे या नहीं	
42		490110	- एकल चादरों में, चाहे फोल्ड हो या नहीं	वी ए> = प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = <60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर वीए> = 40%
43		490199	- अन्य	वी ए> = प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = <60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर वीए> = 40%

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44		490290	- अन्य	सी टी एच
45	ईएक्स	491199	- - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हार्ड कॉपी (मुद्रित)	सी टी एच
		अध्याय 64	जूते, गेटर और पसंद है; ऐसे सामानों के कुछ हिस्सों	
46		6401	जलरोधक जूते के बाहरी तलवों और ऊपरी हिस्से रबड़ या प्लास्टिक के साथ बना, जिनमें ऊपरी हिस्से न तो तल्ला से स्थिर किया हुआ हो न तो सिलाई से, कीलक से नेलिंग से, पेच से, प्लागिंग से इसी तरह की प्रक्रियाओं जोड़ा हो।	सी टी एच + वी ए> = 40% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = <60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
47		6402	अन्य जूते बाहरी तलवों और ऊपरी हिस्से रबड़ या प्लास्टिक के साथ बना हुआ।	सी टी एच + वी ए> = 40% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = <60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
48		6403	जूते जिनके बाहरी तलवों रबर, प्लास्टिक, चमड़े या संरचना चमड़े के साथ बना और ऊपर चमड़े के	सी टी एच + वी ए> = 40% प्रत्यक्ष विधि के आधार पर या = <60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
49		6404	जूते जिनके बाहरी तलवों रबर, प्लास्टिक, चमड़े या संरचना चमड़े के साथ बना और ऊपर कपड़ा के	सी टी एच + वी ए> = 40% प्रत्यक्ष विधि या =

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
50		6405	अन्य जूते	सी टी एच + वी ए> = 40% प्रत्यक्ष विधि या = <60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
51		6406	जूते के हिस्सों (बाहरी तलवों के अलावा अन्य तलवों से जुड़ा हुआ है या नहीं); हटाने योग्य अंदरूनी-तलवों, एड़ी कुशन और इसी तरह के सामान;पट्टियां, लेगिंग्स और इसी तरह के सामान, और इसके कुछ हिस्से	सी टी एच + वी ए> = 40% प्रत्यक्ष विधि या = <60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		अध्याय 84	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण; इसके कुछ हिस्सों	
		8401	नाभिकीय रिएक्टर्स; परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन तत्व (कार्ट्रिज), गैर-विकिरण; आइसोटोपिक अलगाव के लिए मशीनरी और उपकरण	
52		840120	- आइसोटोपिक अलगाव के लिए मशीनरी और उपकरण, और इसके कुछ हिस्सों	वी ए> = 35% प्रत्यक्ष विधि या = <65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53		840140	- परमाणु रिएक्टरों के हिस्सों	वी ए> = 35% प्रत्यक्ष विधि या = <65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8402	भाप या अन्य वाष्प उत्पन्न बॉयलर (केंद्रीय हीटिंग गर्म पानी के बॉयलर के अलावा कम दबाव भाप उत्पादन करने में सक्षम) सुपर-गर्म पानी के बॉयलर	
54		840290	- पार्ट्स	वी ए> = 35% प्रत्यक्ष विधि या = <65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8403	8402 शीर्षक वाले बॉयलर के अलावा केंद्रीय हीटिंग बॉयलर	
55		840390	- पार्ट्स	वी ए> = 35% प्रत्यक्ष विधि या = <65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8407	स्पार्क-इग्निशन पारस्परिक या रोटरी आंतरिक दहन पिस्टन इंजन	
			- अध्याय 87 के वाहनों के प्रणोदन के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			के पिस्टन इंजनों का पुनः प्रत्यागामी:	
56		840731	-- एक सिलेंडर क्षमता 50 सीसी से अधिक नहीं है	सी टी एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
57		840732	- एक सिलेंडर क्षमता 50 सीसी से अधिक है लेकिन 250 सीसी से अधिक नहीं है	सी टी एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
58		840733	- एक सिलेंडर क्षमता 250 सीसी से अधिक है लेकिन 1000 सीसी से अधिक नहीं है	सी टी एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
59		840734	- 1000 सीसी से अधिक सिलेंडर क्षमता की:	सी टी एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8411	टर्बो-जेट, टर्बो-प्रोपेलर और अन्य गैस टरबाइन	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- पार्ट्स:	
60		841191	- टर्बोजेट या टर्बो प्रोपेलर्स का	वी ए> = 35% प्रत्यक्ष विधि या = <65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
61		841199	- अन्य	वीए> = 35% प्रत्यक्ष विधि या = <65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8413	तरल पदार्थ के लिए पंप्स, मापने वाले उपकरण के साथ फिट या नहीं; तरल पदार्थ उठाने के यन्त्र	
			- पार्ट्स:	
62		841392	तरल पदार्थ उठाने के यन्त्र	वीए> = 35% प्रत्यक्ष विधि या = <65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8415	एयर कंडीशनिंग मशीन, जिसमें मोटर चालित पंखा और तापमान और आर्द्रता को बदलने के तत्व शामिल हैं, उन मशीनों सहित जिनमें नमी को अलग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63		841510	- खिड़की या दीवार वाले, सेल्फ कॉन्टेनेड या " स्प्लिट प्रणाली"	सी टी एस एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
64		841520	मोटर वाहनों में, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तरह का:	सी टी एस एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8416	तरल ईंधन के लिए, चूर्णित ठोस ईंधन या गैस के लिए फर्नेस बर्नर; मैकेनिकल स्टोर्कर्स, मैकेनिकल गेट्स, मैकेनिकल ऐश डिस्चार्जर्स और इसी तरह के उपकरण	
65		841690	- पार्ट्स	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8417	औद्योगिक या प्रयोगशाला भट्टियां और ओवन, भस्मक, गैर बिजली सहित	
66		841790	- पार्ट्स	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65%

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8418	रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और अन्य रेफ्रिजरेटिंग या फ्रीजिंग उपकरण, इलेक्ट्रिक या अन्य; 8415 शीर्षक वाली एयर कंडीशनिंग मशीनों के अलावा हीट पंप	
			- पार्ट्स:	
67		841891	- रेफ्रिजरेटिंग या फ्रीजिंग उपकरण प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया फर्नीचर	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8420	कैलेंडरिंग या अन्य रोलिंग मशीन, धातु या ग्लास के अलावा, और सिलेंडरों के अलावा	
			- पार्ट्स:	
68		842091	सिलेंडर	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8436	अन्य कृषि, बागवानी, वानिकी, कुक्कुट पालन या मधुमक्खी पालन मशीनरी, जिसमें यांत्रिक या थर्मल उपकरण के साथ	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			लगाए गए अंकुरण संयंत्र शामिल हैं; कुक्कुट इनक्यूबेटर और ब्रूडर	
			- पार्ट्स:	
69		843691	- कुक्कुट पालन मशीनरी या पोल्ट्री इनक्यूबेटर और ब्रूडर्स	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
70		843699	- अन्य	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8437	बीज, अनाज या सूखे पौधों वाली सब्जियों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें; पिसाई उद्योग में या अनाज या सूखे पौधों वाली सब्जियों के काम के लिए फार्म-टाइप मशीनरी के अलावा मशीनरी	
71		843790	- पार्ट्स:	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8439	रेशेदार सेल्यूलोसिक सामग्री के लुगदी बनाने या पेपर या पेपरबोर्ड बनाने या	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			परिष्करण करने के लिए मशीनरी	
			- पार्ट्स:	
72		843991	- रेशेदार सेल्यूलोसिक सामग्री की लुगदी बनाने के लिए मशीनरी का	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8442	प्लेटें, सिलेंडर या अन्य प्रिंटिंग घटकों की तैयारी या बनाने के लिए मशीनरी, एपरेटस और उपकरण (शीर्षक 8456 से 8465 के मशीन टूल्स के अलावा); प्लेटें, सिलेंडरों और अन्य मुद्रण घटकों; प्लेटें, सिलेंडरों और लिथोग्राफिक पत्थरों, मुद्रण उद्देश्यों के लिए तैयार (उदाहरण के लिए, योजनाबद्ध, दानेदार या पॉलिश)	
73		844240	- पूर्वगामी मशीनरी, एपरेटस या उपकरण के हिस्सों	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
74		844331	- मशीनें जो प्रिंटिंग, प्रतिलिपि बनाने या फेसिमिली ट्रांसमिशन के दो या अधिक कार्यों को निष्पादित करती हैं, स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन या नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम	सी टी एस एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
75		844332	- अन्य, स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन या नेटवर्क से कनेक्ट करने में सक्षम	सी टी एस एच
		8448	8444, 8445, 8446 या 8447 शीर्षक के मशीनों के उपयोग के लिए सहायक मशीनरी (उदाहरण के लिए, डॉब्बी, जैकवार्ड, स्वचालित स्टॉप मोशन, शटल बदलना तंत्र); भागों और सहायक उपकरण पूरी तरह से या मुख्यतः उपयोग के लिए उपयुक्त इस शीर्षक की या 8444, 8445, 8446 या 8447 शीर्षक की मशीनों के साथ(उदाहरण, स्पिंडल और धुरी यात्रियों, कार्ड कपड़े, कंघी, एक्सट्रूडिंग निपल्स, शटल, हील्ड्स और हील्ड-फ्रेम्स के लिए, होजरी सुई)	
			- बुनाई मशीनों (लूम) या उनकी सहायक मशीनरी के हिस्सों और सहायक उपकरण:	
76		844849	- अन्य:	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8453	खाल, चमड़ी या चमड़ा को तैयार करने, टैनिंग या काम करने या जुटे या खाल, चमड़ी या चमड़ा के अन्य सामान बनाने या मरम्मत करने की मशीनरी, सिलाई मशीनों के अलावा	
77		845390	- पार्ट्स:	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				=< 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8454	कन्वर्टर्स, लडल्स, इगॉट मोल्ड्स और कास्टिंग मशीन, धातु विज्ञान में या धातु फाउंड्री में इस्तेमाल की जाने वाली एक तरह का	
78		845490	- पार्ट्स:	वी ए >= 35% प्रत्यक्ष विधि या <= 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8456	लेजर या अन्य प्रकाश या फोटॉन बीम, अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रो-डिस्चार्ज, इलेक्ट्रो-केमिकल, इलेक्ट्रॉन बीम, आयनिक-बीम या प्लाज्मा आर्क प्रक्रियाओं द्वारा सामग्री को हटाकर किसी भी सामग्री को काम करने के लिए मशीन टूल्स	
79		845630	- इलेक्ट्रो-डिस्चार्ज प्रक्रियाओं द्वारा संचालित	वी ए ≥ 40% प्रत्यक्ष विधि या ≤ 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
80		8459	8458 शीर्षक के लेटेस (मोड़ केंद्रों सहित) के अलावा धातु को हटाकर ड्रिलिंग, बोरिंग, मिलिंग, थ्रेडिंग या टैपिंग के लिए मशीन टूल्स (वे-टाइप यूनिट हेड मशीनों	वी ए >= 40% प्रत्यक्ष विधि या <= 60% अप्रत्यक्ष विधि के

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			सहित)	आधार पर
		8466	केवल या मुख्यतः 8456 से 8465 शीर्षक संख्या के मशीनों के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त भागों और सहायक उपकरण, जिसमें काम या उपकरण धारक, स्वयं खुलने वाले डाईहेड्स, मशीन टूल्स के लिए हेड्स और अन्य विशेष अनुलग्नक विभाजित करने शामिल हैं; हाथ में काम करने के लिए किसी भी प्रकार के उपकरण के लिए टूल धारक	
81		846630	- मशीन टूल्स के लिए हेड्स और अन्य विशेष अनुलग्नक विभाजित करना:	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8468	सोल्डरिंग, ब्राजिंग या वेल्डिंग के लिए मशीनरी और उपकरण, चाहे 8515 शीर्षक वालो के अलावा कटाई करने में सक्षम हों या नहीं; गैस संचालित सतह टेम्परिंग मशीनें और उपकरण	
82		846890	- पार्ट्स	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83		847170	- भंडारण की इकाइयाँ	सी टी एच
84	ईएक्स	847141	- माइक्रो कंप्यूटर	सी टी एस एच
85	ईएक्स	847141	- - बड़े या मेन फ्रेम कंप्यूटर	सी टी एस एच
86		8472	अन्य कार्यालय मशीनें (उदाहरण के लिए, हेक्टोग्राफ या स्टैंसिल डुप्लिकेटिंग मशीन, एड्रेसिंग मशीन, स्वचालित बैंकनोट डिस्पेंसर, कॉइन सॉर्टिंग मशीन, सिक्का गिनती या रैपिंग मशीन, पेंसिल-शार्पिंग मशीन, छिद्रण या स्टेपलिंग मशीन)	वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
87		847330	- शीर्षक 8471 की मशीनों के हिस्सों और सहायक उपकरण	सी टी एच
		8478	तंबाकू तैयार करने या बनाने के लिए मशीनरी निर्दिष्ट नहीं है या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं है	
88		847890	- पार्ट्स	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
89		848620	- अर्धचालक उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट के निर्माण के लिए मशीनें और उपकरण	सी टी एस एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		अध्याय 85	विद्युत मशीनरी और उपकरण और इसके हिस्सों; ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, टेलीविजन छवि और ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, और ऐसे सामानों के हिस्सों और सहायक उपकरण	
		8504	विद्युत ट्रांसफार्मर, स्थैतिक परिवर्तक (उदाहरण के लिए, रेक्टिफायर्स) और प्रेरक	
90	ईएक्स	850440	- इलेक्ट्रिक इनवर्टर	सी टी एस एच
91	ईएक्स	850440	- - रेक्टिफायर: डिप ब्रिज रेक्टिफायर्स	सी टी एस एच
		8507	इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर्स, इसके विभाजकों सहित, चाहे आयताकार हों अथवा नहीं (वर्ग सहित)	
92		850710	- पिस्टन इंजन शुरू किए जाने हेतु इस्तेमाल की जाने वाला एक प्रकार का लीड-एसिड	सी टी एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
93		850720	- अन्य लीड-एसिड एक्युमुलेटर्स	सी टी एस एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8510	स्वयं निहित विद्युत मोटर के साथ शेवर, बाल चप्पल और बालों को हटाने वाले	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			उपकरण	
94		851090	- पार्ट्स	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8511	विद्युत इग्निशन या स्पार्क-इग्निशन या संपीडन-इग्निशन आंतरिक दहन इंजन को शुरू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रकार का उपकरण (उदाहरण के लिए, इग्निशन मैग्नेटोस, मैग्नेटो-डायनेमोस, इग्निशन कॉइल्स, स्पार्किंग प्लग और ग्लो प्लग, स्टार्टर मोटर्स); जनरेटर्स (उदाहरण के लिए, डायनेमोस, अल्टरनेटर) और ऐसे इंजनों के संयोजन के साथ उपयोग किए जाने वाला एक प्रकार का कट-आउट	
95		851120	- इग्निशन मैग्नेटोस; मैग्नेटो डायनेमो; चुंबकीय फ्लाइविंग्स	सी टी एस एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
96		851130	वितरक; प्रज्वलन छल्ले	सी टी एस एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60%

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
97		851140	स्टार्टर मोटर्स और दोहरे उद्देश्य के स्टार्टर जेनरेटर	सी टी एस एच + वी ए $\geq 40\%$ प्रत्यक्ष विधि या $\leq 60\%$ अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8512	साइकिल्स या मोटर वाहनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक तरह के विद्युत प्रकाश या सिग्नलिंग उपकरण (8539 शीर्षक के सामानों को छोड़कर), विंडस्क्रीन वाइपर, डिफ्रॉस्टर्स और डेमिस्टर	
98		851240	- विंडस्क्रीन वाइपर, डिफ्रॉस्टर्स और डेमिस्टर	सी टी एच + वी ए $\geq 40\%$ प्रत्यक्ष विधि या $\leq 60\%$ अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8516	इलेक्ट्रिक तात्कालिक या भंडारण वॉटर हीटर और इमर्शन हीटर; इलेक्ट्रिक स्पेस हीटिंग उपकरण और सॉयल हीटिंग उपकरण; इलेक्ट्रो-थर्मिक हेयर-ड्रेसिंग उपकरण (उदाहरण के लिए, हेयर ड्रायर, हेयर कर्लर्स, कर्लिंग टॉग हीटर) और हैंड ड्रायर; इलेक्ट्रिक चिकनाई लोहा; घरेलू उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रो-थर्मिक उपकरण; 8545 शीर्षक के अलावा बिजली के हीटिंग रजिस्टर	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99		851650	- माइक्रोवेव ओवन्स	सी टी एच + वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8517	टेलीफोन सेट, शीर्षक 8443, 8525, 8527 या 8528 के ट्रांसमिशन या रिसेप्शन उपकरण के अलावा सेलुलर नेटवर्क के लिए या अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन्स सहित; वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क (जैसे स्थानीय या विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क) में संचार के लिए उपकरण सहित, आवाज, छवियों या अन्य डेटा के संचरण या रिसेप्शन के लिए अन्य उपकरण	
100		851762	- स्विचिंग और रूटिंग उपकरण सहित रिसेप्शन, रूपांतरण और ट्रांसमिशन या आवाज, छवियों या अन्य डेटा के पुनर्जनन के लिए मशीनें	सी टी एस एच
101		851769	- अन्य	सी टी एस एच
102	ईएक्स	851770	- - पॉपुलेटेड, लोडेड या स्टफ्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड	सी टी एस एच
103	ईएक्स	851770	- - अन्य	सी टी एच
		8521	किसी वीडियो ट्यूनर को शामिल किए अथवा नहीं किए बिना, वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण	
104	ईएक्स	852190	- - मास्टर और स्लेव नियंत्रण के साथ वीडियो डुप्लिकेटिंग सिस्टम	सी टी एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8523	ध्वनि की या अन्य घटना की रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, डिस्क, टेप, सोलिड-स्टेट गैर-अस्थिर स्टोरेज डिवाइस, "स्मार्ट कार्ड" और अन्य मीडिया, डिस्क के उत्पादन के लिए मैट्रिस और मास्टर्स समेत, लेकिन अध्याय 37 के उत्पादों को छोड़कर,	
105		8523	अध्याय 37 के उत्पादों के अलावा ध्वनि रिकॉर्डिंग या अन्य घटनाओं की समान रिकॉर्डिंग के लिए तैयार असुरक्षित मीडिया	सी टी एच
		8525	रेडियो प्रसारण या टेलीविजन के लिए ट्रांसमिशन उपकरण, रिसेप्शन उपकरण या ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हो या नहीं; टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर	
106	ईएक्स	852550	- प्रसारण उपकरण उप-प्रणाली	सी टी एच
107	ईएक्स	852550	- - वायरलेस माइक्रोफोन	सी टी एच
108	ईएक्स	852550	- - अन्य	सी टी एच
109		852580	- टेलीविजन कैमरे, डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर	सी टी एच
		8528	मॉनीटर और प्रोजेक्टर, टेलीविजन रिसेप्शन उपकरण को शामिल नहीं करते हैं; टेलीविजन के लिए रिसेप्शन उपकरण, चाहे रेडियो प्रसारण रिसीवर या ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण चाहे शामिल हों या नहीं	
110		852859	- अन्य	सी टी एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8536	विद्युत सर्किट को बदलने या संरक्षित करने के लिए, या विद्युत सर्किट में कनेक्शन बनाने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरण के लिए, स्विच, रिले, फ्र्यूज, सर्ज सप्रेस्सर्स, प्लग, सॉकेट, लैंप होल्डर्स और अन्य कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स), 1000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज के लिए नहीं; ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बंडल या केबल्स के लिए कनेक्टर	
111		853669	- अन्य	सी टी एच
		8542	इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत सर्किट	
112		854231	- प्रोसेसर और नियंत्रक, चाहे मेमोरीज़, कन्वर्टर्स, लॉजिक सर्किट, एम्पलीफायर, क्लॉक और टाइम सर्किट, या अन्य सर्किट के साथ संयुक्त हों या नहीं	सी टी एस एच
113		854232	- मेमोरीज़	सी टी एस एच
114		854233	- एम्पलीफायर	सी टी एस एच
115		854239	- अन्य	सी टी एस एच
		8543	इलेक्ट्रिकल मशीनें और उपकरण जिनमें व्यक्तिगत कार्य होते हैं, जो इस अध्याय में कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं या शामिल नहीं हैं	
116		854310	- कण त्वरक: अर्धचालक सामग्री डोपिंग	सी टी एस एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			के लिए आयन प्रत्यारोपण	
117		854370	- अन्य मशीनें और उपकरण: निकटता कार्ड और टैग	सी टी एस एच
118		854390	- पार्ट्स	सी टी एस एच या वी ए $\geq 35\%$ प्रत्यक्ष विधि या $\leq 65\%$ अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8544	इन्सुलेट (एनेमल्ड या एनोडाइज्ड सहित) तार, केबल (सह-अक्षीय केबल सहित) और अन्य इन्सुलेटेड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, चाहे वे कनेक्टर्स के साथ फिट हो या नहीं; ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, जो व्यक्तिगत रूप से शीट वाले फाइबर से बने होते हैं, चाहे वे इलेक्ट्रिक कंडक्टर के साथ इकट्ठे हों या कनेक्टर्स के साथ लगे हों या नहीं	
119		854430	- वाहनों, विमान या जहाजों में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रकार की इग्निशन वायरिंग सेट और अन्य वायरिंग सेट	सी टी एच + वी ए $\geq 40\%$ प्रत्यक्ष विधि या $\leq 60\%$ अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		8548	प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटरों के अपशिष्ट और स्क्रेप; खर्च हुए प्राथमिक सेल, खर्च हुए प्राथमिक बैटरी और खर्च हुए बिजली एक्युमुलेटर; मशीनरी या उपकरण के विद्युत भागों, इस अध्याय में निर्दिष्ट नहीं हैं या कहीं और शामिल नहीं हैं	
120		854890	- अन्य	सी टी एस एच
		अध्याय 86	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव, रोलिंग-स्टॉक और इसके हिस्से; रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर और फिटिंग और इसके हिस्से; मैकेनिकल (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सभी प्रकार के ट्रैफिक सिग्नलिंग उपकरण	
		8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव या रोलिंग स्टॉक के हिस्से	
			ब्रेक और इसके हिस्से:	
121		860721	- एयर ब्रेक और इसके हिस्से	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
122		860729	- अन्य	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
123		860730	- हुक और अन्य युग्मन उपकरण, बफर, और इसके कुछ हिस्से	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
			अन्य भाग:	
124		860791	- इंजनों का	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
125		860799	- अन्य:	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8608	रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर और फिटिंग्स; रेलवे, ट्रामवे, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, पार्किंग सुविधाओं, बंदरगाह प्रतिष्ठानों या एयरफील्ड के लिए यांत्रिक (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; पूर्वगामी के हिस्से	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
126		860800	- रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर और फिटिंग्स; रेलवे, ट्रामवे, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, पार्किंग सुविधाओं, बंदरगाह स्थापना या एयरफील्ड के लिए मैकेनिकल (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सिग्नलिंग, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपकरण; के लिए के भाग	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		अध्याय 88	विमान, अंतरिक्ष यान, और इसके हिस्से	
		8803	8801 या 8802 शीर्षक के सामान के हिस्से	
127		880310	- प्रोपेलर्स और रोटर्स और इसके हिस्से	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
128		880320	- अंडर-कैरिज और उसके हिस्से	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8804	पैराशूट (चलाने योग्य पैराग्लाइडर्स और रोटोच्यूट्स ; इसके सहायक उपकरण सहित) और इसके हिस्से	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129		880400	- पैराशूट (चलाने योग्य -पैराशूट और पैराग्लाइडर्स समेत) और रोटोशूट्स ; इसके हिस्से और सहायक उपकरण:	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		8805	विमान लॉन्चिंग गियर; डेक-अरेस्टर्स या इसी तरह के गियर; ग्राउंड फ्लाइंग ट्रेनर; पूर्वगामी के हिस्से	
130		880510	- विमान लॉन्चिंग गियर और इसके हिस्से; डेक-अरेस्टर्स या इसी तरह के गियर और इसके हिस्से:	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
			- ग्राउंड फ्लाइंग ट्रेनर्स और इसके हिस्से:	
131		880521	- वायु युद्ध सिमुलेटर्स और इसके हिस्से	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
132		880,529	- अन्य	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		अध्याय 90	ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमेटोग्राफिक, मापने, जांच, परिशुद्धता, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपकरण और अनुषंगी; इसके हिस्से और सहायक उपकरण	
		9007	सिनेमेटोग्राफिक कैमरे और प्रोजेक्टर, चाहे ध्वनि रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण शामिल हों या नहीं	
133		900792	प्रोजेक्टर के लिए	सी टी एच
134		9011	कंपाउंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जिनमें फोटोमाइक्रोग्राफी, सिनेफोटोमोग्राफी या माइक्रोप्रोजेक्शन शामिल हैं	वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		9012	ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स के अलावा माइक्रोस्कोप्स; विवर्तन उपकरण	
135	ईएक्स	901210	- - इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विशेष रूप से सेमीकंडक्टर वेफर्स या रीटिकल के संचालन और परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरणों के साथ लगाए गए	सी टी एस एच
136	ईएक्स	901210	- - अन्य	वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या \leq 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
137		901290	- पार्ट्स और सहायक उपकरण	वी ए \geq 40% प्रत्यक्ष विधि या

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				=< 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		9013	विशेष रूप से अन्य शीर्षकों में प्रदान किए गए सामानों का गठन नहीं किए हुए लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस; लेजर डायोड के अलावा लेजर; अन्य ऑप्टिकल उपकरण और यंत्र, निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं	
138		901380	- अन्य उपकरण, उपकरण और यंत्र	वी ए >= 40% प्रत्यक्ष विधि या <= 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
139	ईएक्स	901390	- लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस (एलसीडी) के लिए	सी टी एच
140	ईएक्स	901390	- - अन्य	वी ए >= 40% प्रत्यक्ष विधि या <= 60% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर
		9018	चिकित्सा, सर्जिकल, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र और उपकरण, साइनटिग्राफिक उपकरण, अन्य विद्युत चिकित्सा उपकरण और दृष्टि परीक्षण उपकरण समेत,	

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
141		901811	- इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ	सी टी एच
142		901839	- कार्डियक कैथेटर	सी टी एच
		901890	- अन्य यंत्र और उपकरण:	
143			ई एक्स ---- सर्जिकल उपकरण: बोन साँ, ड्रिल, ट्रेफिन	सी टी एच
144			ई एक्स ---- सर्जिकल उपकरण: चाकू, कैंची और ब्लेड	सी टी एच
145			ई एक्स ---- सर्जिकल उपकरण: फोरसेप्स, फोरसेप क्लैंप्स, क्लिप्स, सुई धारक, इंद्रोइयूसर, सेफलोट्राइब हड्डी होल्डिंग और अन्य होल्डिंग यंत्र	सी टी एच
146			ई एक्स ---- सर्जिकल उपकरण: चिसेल, गेज, एलीवेटर रेस्पैटोन्स, ओस्टियोटोम्स, क्रेनियोटोम, बोन कटर्स	सी टी एच
147			ई एक्स ---- सर्जिकल उपकरण: रिट्रैक्टर्स, स्पैटुला प्रोब्स, हुक्स डायलेटर्स , साउंड्स, मॉलेट्स	सी टी एच
147			ई एक्स ---- सर्जिकल उपकरण: अन्य	सी टी एच
149			ई एक्स ---- रेनल डायलिसिस उपकरण, रक्त आधान तंत्र और हेमोफिल्टरेशन यंत्र: रेनल डायलिसिस उपकरण (कृत्रिम किडनी, किडनी की मशीनें और डायलिसर्स)	सी टी एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
150			ई एक्स ---- रेनल डायलिसिस उपकरण, रक्त आधान तंत्र और हेमोफिल्टरेशन यंत्र: रक्त आधान तंत्र	सी टी एच
151			ई एक्स ---- रेनल डायलिसिस उपकरण, रक्त आधान तंत्र और हेमोफिल्टरेशन यंत्र: हेमोफिल्टरेशन उपकरण	सी टी एच
152			ई एक्स ---- एनेस्थेटिक उपकरण और यंत्र, ई एन टी परिशुद्धता यंत्र, एक्यूंपंकचर उपकरण, और एंडोस्कोप्स: एनेस्थेटिक उपकरण और यंत्र	सी टी एच
153			ई एक्स ---- एनेस्थेटिक उपकरण और यंत्र, ई एन टी परिशुद्धता यंत्र, एक्यूंपंकचर उपकरण, और एंडोस्कोप: ई एन टी परिशुद्धता यंत्र	सी टी एच
154			ई एक्स ---- एनेस्थेटिक उपकरण और यंत्र, ई एन टी परिशुद्धता यंत्र, एक्यूंपंकचर उपकरण, और एंडोस्कोप: एक्यूंपंकचर उपकरण	सी टी एच
155			ई एक्स ---- एनेस्थेटिक उपकरण और यंत्र, ई एन टी परिशुद्धता यंत्र, एक्यूंपंकचर उपकरण, और एंडोस्कोप्स: एंडोस्कोप्स	सी टी एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
156			ई एक्स ---- अन्य: हिलेरियल और वीनेस शंट	सी टी एच
157			ई एक्स ---- अन्य: बेबी इनक्यूबेटर	सी टी एच
158			ई एक्स ---- अन्य: हार्टलंग मशीन	सी टी एच
159			ई एक्स ---- अन्य: फाइब्रस्कोप	सी टी एच
160			ई एक्स ---- अन्य: लैप्रोस्कोप	सी टी एच
161			ई एक्स ---- अन्य: वेट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी उपकरण	सी टी एच
162			ई एक्स ---- अन्य: नर्व स्टिमुलेशन के लिए उपकरण	सी टी एच
163			ई एक्स ---- अन्य: अन्य	सी टी एच
		9027	भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए यंत्र और उपकरण (उदाहरण के लिए, पोलैरीमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, गैस या धुआं विश्लेषण उपकरण); चिपचिपाहट, सरंधता, विस्तार, सतह तनाव या इस तरह की माप या जांच के लिए यंत्र और उपकरण; गर्मी, ध्वनि या प्रकाश (एक्सपोजर मीटर सहित) की मात्रा को मापने या जांचने के लिए यंत्र और उपकरण; माइक्रोटोम्स	
164		902790	- - उप-शीर्षक 9027 80 के सामान के	सी टी एच

क्र० सं०	ईएक्स	टैरिफ मद संख्या एच एस 2002 के अनुसार	उत्पादों का विवरण	विशिष्ट नियम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			लिए प्रिंटिंग सर्किट असेंबली	
		अध्याय 94	फर्नीचर; बिस्तर, गद्दे, गद्दे के लिए सपोर्ट, कुशन और इसी तरह के भरवां सामान; लैंप और लाइट फिटिंग, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रकाशित संकेत, प्रकाशित नाम-प्लेटें और जैसे; पूर्वनिर्मित चीजें	
		9401	सीट (9402 शीर्षक वाले लोगों के अलावा), चाहे बिस्तरों में परिवर्तनीय हों या नहीं, और उसके हिस्से	
165		940190	- पार्ट्स	वी ए \geq 35% प्रत्यक्ष विधि या \leq 65% अप्रत्यक्ष विधि के आधार पर ।।

(8) उक्त नियमावली में, **संलग्नक 1** के स्थान पर निम्नलिखित **संलग्नक** को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

संलग्नक
मूल (दो/तीन/चार प्रतियों में)

1. माल का प्रेसर (निर्यातक के कारोबार का नाम, पता/देश)	संदर्भ सं. भारत-सिंगापुर बृहद आर्थिक सहयोग करार
--	---

			(संयुक्त घोषणा एवं प्रमाण पत्र)		
2. जिसको माल प्रेषित किया गया (प्रेषिती का नाम, पता और देश)			जारी: भारत/सिंगापुर में कृपया पन्ने के पीछे दिए गए नोट्स को देखे		
3. परिवहन का साधन और मार्ग (जहाँ तक पता हो) प्रस्थान की तारीख जहाज/एयर क्राफ्ट आदि का नाम अवतारण का पत्तन			4. कार्यालय प्रयोग हेतु: <input type="checkbox"/> आई एस सी ई सी ए के तहत अधिमानी व्यवहार <input type="checkbox"/> अधिमानी व्यवहार नहीं दिया गया (कृपया कारण बताएं)		
5. मद सं	6. पैकेजों पर निशान एवं संख्याएं	7. पैकेजों की संख्या एवं प्रकार, माल का विवरण (जहाँ उचित हो वहां मात्रा तथा आयातक देश की एचएस संख्या सहित)	8. उद्गम मानदण्ड (पीछे टिप्पणी देखें)	9. कुल भार अथवा अन्य मात्रा एवं मूल्य (एफओबी)	10. बीजकों की संख्या एवं तिथि
11. निर्यातक द्वारा घोषणा अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा घोषणा करता है कि उपर्युक्त विवरण एवं कथन सही है: कि समस्त माल			12. प्रमाणन एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि किए गए नियंत्रण के आधार पर निर्यातक द्वारा की गई घोषणा सही है।		

<p>.....</p> <p style="text-align: center;">(देश)</p> <p>में उत्पादित किया गया था और यह माल</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(आयातक देश)</p> <p>को निर्यात किए गए माल हेतु आईएससीईसीए में इस माल के लिए विनिर्दिष्ट उद्गम अपेक्षाओं को पूरा करता है।</p> <p>.....</p> <p>स्थान तथा तिथि, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर तथा तिथि</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>स्थान तथा तिथि, प्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर</p>
--	---

पन्ने के दूसरी ओर की टिप्पणियाँ

1. भारत एवं सिंगापुर इस फॉर्म को भारत ने सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार के तहत अधिमानी व्यवहार के प्रयोजनार्थ स्वीकार करेंगे।
2. शर्तें : भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार के तहत अधिमानी व्यवहार की स्वीकृति हेतु मुख्य शर्त यह है कि पक्षों को भेजा गया माल :
 - (i) गंतव्य देशों में रियासतों के लिए पात्र उत्पादों के विवरण के अंतर्गत आना चाहिए;
 - (ii) प्रेषण की इन शर्तों के अनुसार होना चाहिए कि माल सीधे ही निर्यातक पक्ष से आयातक पक्ष को प्रेषित किया गया है किंतु ऐसे परिवहन को स्वीकार किया जा सकता है जो एक या अधिक मध्यवर्ती देशों से होकर गुजरता है बशर्ते कि मध्यवर्ती, वाहनांतरण अथवा अस्थाई भण्डारण केवल भौगोलिक कारणों अथवा परिवहन अपेक्षाओं के कारण होता हो; और
 - (iii) अगले पैरा में दिए गए उद्गम मानदण्ड के अनुसार होना चाहिए।

3. मूल मानदंड: यदि माल उपर्युक्त मानदंड के तहत अहर्ता प्राप्त करता है तो निर्यातक को इस फॉर्म के बॉक्स 8 में निम्नलिखित सारणी में दिए गए अनुसार उस उद्गम मानदंड का उल्लेख करना चाहिए जिसके आधार पर वह यह दावा करता है कि उसका माल अधिमानी व्यवहार हेतु अहर्ता प्राप्त करता है।

इस फॉर्म के बॉक्स 11 में नामित प्रथम देश में उत्पादन अथवा विनिर्माण की परिस्थितियाँ	बॉक्स 8 में भरें
(क) मूल नियमों संबंधी अध्याय के अनुच्छेद 3.3 में यथा परिभाषित निर्यातक देश में पूर्ण रूप से उत्पादित उत्पाद	“X”
(ख) वे उत्पाद जिन पर कार्य किया गया पर वो निर्यातकर्ता पक्ष में पूर्णतः उत्पादित नहीं किए गए तथा जिनका उत्पादन मूल नियमों संबंधी अध्याय के अनुच्छेद 3.4 के अनुरूप किया गया।	एकल देशीय अंश की प्रतिशतता, उदाहरण 35 प्रतिशत
(ग) वे उत्पाद जिन पर कार्य किया गया पर वे निर्यातकर्ता पक्ष में पूर्णतः उत्पादित नहीं किए गए तथा जिनका उत्पादन मूल नियमों संबंधी अध्याय के अनुच्छेद 3.9 के अनुरूप किया गया।	आईएससीईसीए संचयी अंश की प्रतिशतता, उदाहरण 35 प्रतिशत
(घ) वे उत्पाद जो मूल नियमावली के अध्याय के अनुच्छेद 3.4 (ख) में यथा परिभाषित उत्पाद विनिर्दिष्ट नियमों को पूरा करते हैं।	उत्पाद विशिष्ट नियम
(ङ) वे उत्पाद जो मूल नियमों के अध्याय के अनुच्छेद 3.4 (क) में दी गई परिभाषा को डी मिनिमिस पूरा करते हैं।	समुचित अर्हक मानदण्ड

4. प्रत्येक वस्तु अहर्ता प्राप्त होनी चाहिए: यह नोट किया जाना चाहिए कि प्रेषण के सभी उत्पाद अलग-अलग अपने आप में अहर्ता प्राप्त होनी चाहिए। यह विशेषतया तब प्रासंगिक है जब विभिन्न आकारों की एक जैसी वस्तु अथवा अतिरिक्त पुर्जे भेजे जाते हैं।

5. उत्पादों का विवरण: उत्पादों का विवरण पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए ताकि उनकी जांच करने वाले सीमा शुल्क अधिकारी उन उत्पादों की पहचान कर सकें। निर्माता का नाम, ट्रेड मार्क भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
6. सुमेलित प्रणाली संख्या वह होगी जो आयातकर्ता पक्ष की है।
7. "बॉक्स" में "निर्यातक" शब्द में निर्माता अथवा उत्पादक शामिल हो सकते हैं।
8. कार्यालय के प्रयोग के लिए: आयातकर्ता पक्ष के सीमा शुल्क प्राधिकारी को कॉलम 4 में संगत बॉक्स में अधिमानी व्यवहार दिया गया है अथवा नहीं इस संबंध में(√) का निशान लगाना चाहिए।

[फा.सं0. 15000/2/2010-ओएसडी (आईसीडी)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान नियमावली को संख्या का.आ.1037(अ), दिनांक 20 जुलाई, 2005 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं0. 59/2005 - सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 20 जुलाई, 2005 में प्रकाशित किया गया था और संख्या का.आ. 535(अ), दिनांक 20 मार्च, 2008 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं0. 30/2008 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 20 मार्च, 2008 द्वारा संशोधन किया गया था ।